

Skyweb Infotech Limited

Reg. Office: K-20, 2nd Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi-110024.
Corp Office: Plot No. 2A, 1st Floor, Sector-126, Noida-201301 (U.P.)
Tel.: 0120-6721900 | Email: info@skywebindia.in | Web.: www.skywebindia.in
CIN No.: L72200DL1985PLC019763

Ref. No. - SIL/CO/SE/2020-21/58

January 29, 2021

To

Metropolitan Stock Exchange of India Ltd.

Vibgyor Towers, 4th Floor, Plot No C 62,
G - Block, Opp. Trident Hotel,
Bandra Kurla Complex,
Bandra(E), Mumbai – 400098

Symbol: SKYWEB

Subject: Submission of Newspaper Clippings – Financial Express and Hari Bhoomi

Dear Sir(s),

In compliance with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has issued an advertisement regarding intimation of ensuing Board Meeting scheduled to be held on Tuesday, the 09th Day of February, 2021 to consider and approve the Unaudited Financial Results for the quarter ended 31st December, 2020 in the following newspapers on 29th January, 2021:

1. Financial Express (English)
2. Hari Bhoomi (Hindi)

Kindly take the same on your records.

Thanking You,

Yours truly
For Skyweb Infotech Limited

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "SKYWEB INFOTECH LTD." around the top edge, "DELHI" in the center, and a small star at the bottom.

Deepesh Gupta
Wholetime Director & CFO

लाल किला बवाल मामले में राजद्रोह व यूएपीए का मामला दर्ज

नई दिल्ली। 26 जनवरी पर ट्रैक्टर परेड के दौरान राजधानी के विभिन्न इलाकों और लाल किले पर हुई हिंसा के बाद पुलिस ने राजद्रोह व यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस एडिशनल पीआरओ अनिल मिश्र ने बताया कि मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, अपराध शाखा के अलावा स्थानीय पुलिस कर रही है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि नॉर्थ जिले में राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। कोतवाली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 186, 395, 188, 25, 59, 147, 353, 152, 308, 279, 427, 34, 54, 30, 149, 307, 269, 397, 120बी, 27, 3, 148 और 323 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके अलावा तिरंगे झंडे का अपमान करने का भी एक मामला नॉर्थ जिले में दर्ज हुआ है। पुलिस लाल किले में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर मामले उपद्रवियों की तलाश कर रही है।

30 किसानों को हिरासत में लिया

नई दिल्ली। डीडीए ग्राउंड, बुराड़ी मैदान में रुके 30 किसान बृहस्पतिवार शाम को सिंधु बॉर्डर की तरफ कूच करने लगे। पुलिस ने सभी किसानों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि 26 जनवरी को हुई हिंसा में इन किसानों का हाथ भी हो सकता है। इसलिए उन्हें हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा बुराड़ी मैदान से किसानों को भगा दिया है।

एसआई दयाचंद ने किया था निहंग की तलवार का सामना

नई दिल्ली। निहत्थे पुलिसकर्मी के सामने तलवार ताने निहंग ने कहा कि नई दिल्ली जाने नहीं दिया तो गर्दन काटकर अलग कर दी जाएगी। यह अल्फाज सुनकर लाजमी है जिसके सामने कोई शख्स मौत बनकर खड़ा हो उसकी तो रूम तक कोप जाए। मौत को सामने देखकर भी एसआई दयाचंद ने उपद्रवी के सामने अपनी गर्दन नहीं झुकाई और कांस्टेबल नितिन ने लाठी से तलवार का मुकाबला किया। इंटरनेट मीडिया पर एक फोटो काफी वायरल हो रही है, जिसमें दिख रहा है एक निहंग ने पुलिसकर्मी पर तलवार तान रखी है। जिस पुलिसकर्मी पर तलवार तानी थी वह मंडावली थाने में तैनात एसआई दया चंद हैं। यह फोटो गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के नाम पर हुए उपद्रव के दौरान अक्षरधाम के पास की है।

थप्पड़ का बदला लेने के लिए युवक की चाकूओं से गोदकर हत्या

हरिभूमि न्यूज नई दिल्ली

दो गिरफ्तार, दो फरार

चला कि जीएच ब्लॉक चौक के पास तिकोना पार्क, वजीरपुर, जेजे कॉलोनी में कुछ लोगों के बीच झगड़ा हुआ था। आरोपियों को पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर मोहन सिंह की देखरेख में एक टीम बनाई गई। टीम में एसआई आनंद, एसएसआई राजकुमार, कांस्टेबल विकास, मनमोहन और राजेंद्र के अलावा अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहें। पुलिस ने चरमदीह की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। उसने पुलिस को बताया कि तिकोना पार्क के पास आनंद का जेजे कॉलोनी के रहने वाले रितिक, कुनाल, सौरभ और यशपाल से झगड़ा हुआ था। पुलिस ने गुप्त सूचना के बाद सौरभ और विशाल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना जूम कबूल लिया और अपने सहयोगियों के बारे में भी बताया।

एक ही प्रॉपर्टी के कई जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर फाइनेंस कंपनी से लिया था लोन

दो करोड़ के लोन फ्रॉड में शामिल रहे पिता पुत्र गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज नई दिल्ली

आर्थिक अपराध शाखा ने एक ही प्रॉपर्टी के कई जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर फाइनेंस कम्पनियों और बैंकों से लगभग दो के लोन फ्रॉड में शामिल रहे पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। इनके नाम रविंद्र कुमार (70) और सौरभ कुमार (39) हैं। आरोपियों ने डीएचएफएल से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 1.96 करोड़ रुपए का लोन लेने के कुछ दिनों के बाद 31 लाख रुपए और आर्वाटिट करवा लिए थे। फिलहाल पुलिस मामले में आगे जांच करते हुए फ्रॉड में शामिल अन्य लोगों की भूमिका का पता लगाने में जुटी है। ज्वाइंट सीपी डी



ओ पी मिश्रा के अनुसार लोन फ्रॉड के इस मामले में पुलिस को डीएचएफएल की ओर से शिकायत मिली थी। जिसमें बताया गया था कि रविंद्र कुमार और उसके बेटे सौरभ

कुमार ने 2015 के फरवरी माह में पंजाबी बाग वेस्ट की प्रॉपर्टी नंबर-30/45 की दूसरी मंजिल को खरीदने के लिए 2.27 करोड़ रुपए के दो लोन लिये थे। लेकिन दोनों ने लोन की शुरुआत में कुछ किश्तें जमा की और फिर बंद कर दी थीं। इतना ही नहीं पता चला कि जिस प्रॉपर्टी के नाम पर लोन लिया था, वह प्रॉपर्टी भी नहीं खरीदी गई। शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 406, 467, 471 और 120बी के तहत केस दर्ज कर डीसीपी उर्विजा गोयल की निगरानी और एस्पीपी नगीन कौशिक की देखरेख में इंस्पेक्टर मुकेश राणा और कांस्टेबल राजपाल की टीम ने छानबीन शुरू की।

नई दिल्ली। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी पिता पुत्र ने प्रॉपर्टी को गिरवी रखने के लिए कई जाली दस्तावेज जमा करवाये थे। लोन की रकम का इनके द्वारा निजी इस्तेमाल किया गया था। जांच के बाद पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा, लेकिन वे जांच में शामिल नहीं हुये। इसके बाद पुलिस ने दोनों को ट्रेस कर गिरफ्तार कर लिया।

सकाईवेब इन्फोटेक लिमिटेड
CIN: L72200DL1985PLC19763
पंजीकृत कार्यालय: के-20, इसरी मंडल, राजपथ नगर- II, नई दिल्ली-110 024
कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नंबर 2 ए, पहली मंजिल, विभा-ए, सेक्टर -126, नोएडा, उत्तर प्रदेश- 201 301
ई-मेल आईडी: info@skyswebindia.in | Ph. No. 0120-6726800

सूचना
विनियम 29 (1) (क) सेबी के नियम 47 (निगमन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) के साथ पंजित, विनियम, 2015, एचएचआर सुविधा किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार 9 राहिल फरवरी 2021 को आयोजित की जाएगी, जिसमें अंतरिम रूप से, 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए अनऑडिटेड रजिस्ट्रेशन और वारंटों के विवरणों पर विचार और अनुमति किया जाएगा।
उपरोक्त जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.skyswebindia.in और एडिफ एक्सचेंज की वेबसाइट www.mse.in पर देखी जा सकती है।

बोर्ड की अध्यक्षता
सकाईवेब इन्फोटेक लिमिटेड
इस्ता /
डीपेंडू गुप्ता
पूर्ण कारित्व निदेशक तथा सीओओ

दिनांक : 28.01.2021
स्थान: नोएडा, (उ.प्र.)

दिल्ली की सीमाओं पर बड़ा सुरक्षा पहरा...



के अवरोधकों को तोड़ दिया और पुलिस के साथ झड़प व वाहनों में तोड़-फोड़ की और लाल किले पर एक धार्मिक ध्वज लगा दिया था। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को इस संबंध में 25 अपराधिक मामले दर्ज किए थे। इस हिंसा में 394 पुलिस कर्मी घायल हुए थे और पुलिस के 30 वाहन क्षतिग्रस्त भी हुए थे।

केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के दौरान गाजीपुर की सीमा पर सुरक्षाबलों ने किया प्लैग मार्च।

गाजीपुर बॉर्डर की तरफ कूच करते जवान...



पुलिस कमिश्नर ने गुरुवार को आला अधिकारियों के साथ की बैठक

दिनभर किसान आंदोलन से निपटने की रणनीति बनाने में जुटी रही दिल्ली पुलिस

हरिभूमि न्यूज नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस

कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने गुरुवार को आला अधिकारियों के साथ बैठक कर किसान आंदोलन से निपटने की रणनीति पर चर्चा की है। पुलिस मुख्यालय के सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में सीपी के साथ स्पेशल पुलिस कमिश्नर (इंटेलिजेंस) और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। इस बैठक के बाद किसान नेताओं से किस प्रकार डीलिंग की जाए इस पर भी मंथन हुआ।

आने वाले दिन हो सकते हैं चुनौतीपूर्ण, इसके लिए रहें तैयार : श्रीवास्तव

नई दिल्ली। पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने एक पत्र जारी कर दिल्ली पुलिस के जवानों को कहा कि आने वाले दिन चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, इसके लिये तैयार रहें। इसका सीधा इशारा किसान आंदोलन को खत्म करवाने से भी जोड़कर देखा जा रहा है। उधर बुधवार रात से ही दिल्ली के चार मुख्य बॉर्डर सिंधु, टीकरी, गाजीपुर और दिल्ली बॉर्डर से भीड़ छटती नजर आई। गुरुवार को इन बॉर्डर से काफी संख्या में किसान अपने गांव को लौट गये। इसका कारण पुलिसिया कार्रवाई को माना जा रहा है। पुलिस कमिश्नर द्वारा लिखे गये पत्र में कहा गया है कि किसान आंदोलन 26 जनवरी को उठा हो गया था तब आपने (दिल्ली पुलिस) काफी संयम का परिचय दिया था। इस सूझबूझ की तारीफ करते हुए उन्होंने आगे लिखा कि हमारे जवानों के पास बल प्रयोग करने का विकल्प खुला था मगर सूझबूझ का परिचय

दिया गया। यह आचरण काफी चुनौतीपूर्ण था मगर इसी कारण यह निपट पाई। हम सभी इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करते आए हैं। आपकी मेहनत और कार्य कुशलता से ही किसान आंदोलन को चुनौती का हम टूट कर मुकाबला कर पाए हैं। किसान आंदोलन में हमारे 394 साथी घायल हुए हैं। कुछ का इलाज अभी चल रहा है। मे अस्पताल में घायल साथियों से मिलकर आया हूँ। उन्हें बेहतर इलाज की सुविधाएं दी जा रही है। दिल्ली पुलिस उनके अच्छे स्वास्थ्य और उपचार के लिये प्रतिबद्ध है। पुलिस कमिश्नर ने आगे कहा कि मैं आप को बतलाना चाहता हूँ कि आगे आने वाले कुछ दिनों हमारे लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। हमें संवेत रहने की आवश्यकता है। हम सब को अपना धैर्य और अनुशासन बनाए रखना है। मैं आपके संयम और धैर्य के लिए धन्यवाद देता हूँ।

राकेश टिकैत को पुलिस ने जारी किया नोटिस, तीन दिन में मांगा जबाब

हरिभूमि न्यूज नई दिल्ली

ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं को हिंसा का जिम्मेदार ठहराया है। इसके साथ ही बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस ने राकेश टिकैत को एक नोटिस जारी किया है। नोटिस में पुलिस ने कहा है कि राकेश टिकैत ने वादा खिलाफी की है। उन्होंने पुलिस से किए वादे को तोड़ा है। दरअसल, राकेश टिकैत ने पुलिस को भरोसा दिया था कि वह और उनका काफिला पुलिस द्वारा बताये गए रूट पर ही ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वह अप्सरा बॉर्डर पहुंचने की वजह अक्षरधाम पहुंचे।

पुलिस ने टिकैत को नोटिस जारी करते हुए तीन दिनों के भीतर हिंसा करने वाले आरोपियों के नाम भी बताने के लिए कहा है। दिल्ली पुलिस की ओर से भेजा गया नोटिस बृहस्पतिवार को गाजीपुर बॉर्डर पर लगे टिकैत के टेंट के बाहर चिपका दिया गया है। ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा के बाद राकेश टिकैत का एक और बयान सामने आया है। इस बयान में टिकैत यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यदि किसान लाल किला पर चढ़ गया था तो पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई। इसके बाद वह फिर से चर्चाओं में बने हुए है। टिकैत ने आखिर यह बयान क्यों दिया है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस बयान से ऐसा लगा रहा है कि उनकी बड़ी हिंसा की साजिश तो नहीं थी। पुलिस इन सब सवालों के जवाबों को दूबने में लगी है।

ट्रैक्टर के आगे डटी रही महिला इंस्पेक्टर व एसआई

ईस्ट जिले के मंडावली थाने में एटीओ के पद पर तैनात इंस्पेक्टर पुष्पलता ने भारतीय किसान युनियन (अराजनीतिक) के प्रवक्ता राकेश टिकैत पर भीड़ को मड़काने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि टिकैत बातों से कुछ और वह इशारे से कुछ और कह रहे थे। वह इशारों में किसानों को तय करू पर न भेजकर दिल्ली में जाने के लिए कह रहे थे। लेकिन पुष्पलता और उनके साथ मौजूद महिला एसआई सुमन कुशवाहा किसानों के सामने से नहीं हटी और वहाँ डटी रहीं। टिकैत ने उन्हें पीछे हटने के लिए कहा। मगर वह पीछे नहीं हटी। इसके बाद किसान किसान जबरन बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली की ओर निकल गए।

रहे हैं कि यदि किसान लाल किला पर चढ़ गया था तो पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई। इसके बाद वह फिर से चर्चाओं में बने हुए है। टिकैत ने आखिर यह बयान क्यों दिया है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस बयान से ऐसा लगा रहा है कि उनकी बड़ी हिंसा की साजिश तो नहीं थी। पुलिस इन सब सवालों के जवाबों को दूबने में लगी है।

44 किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस ने संख्य 28 अख्तियार कर लिया है। केस की जांच स्पेशल सेल को सौंपी गई है। साथ ही क्राइम ब्रांच भी कुछ केस हैंडल करेगी। इसी कड़ी में गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया गया है कि जिन किसान नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जाऊ। करीब 44 नेताओं के खिलाफ यह नोटिस जारी हुआ

एफआईआर की संख्या 25 से बढ़कर हुई 33

है। इसके बाद किसान नेताओं के पासपोर्ट भी जब्त हो सकते हैं। वहीं एफआईआर की संख्या भी बढ़कर 33 हो गई है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव समेत करीब 20 नेताओं को नोटिस भेजा है। गौरतलब है कि ट्रैक्टर परेड के दौरान उपद्रव करने के मामले की जांच के

लिए भी पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने विशेष जांच दल (एसआइटी) गठित कर दी है। एसआइटी को जांच में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल व संबंधित स्थानीय थाना पुलिस भी सहयोग करेगी। पुलिस यह पता लगा रही है कि हिंसा की रूपरेखा देश के बाहर से तो नहीं लिखी गई थी। इसके लिये टीवैटर व सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उपद्रव के पीछे किसी राजनीतिक पार्टी के नेताओं का हाथ तो नहीं है।

धरनास्थल से एक किलोमीटर पहले लगाई गई बैरिकेडिंग

नई दिल्ली। 26 जनवरी को टिकरी बॉर्डर पर हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद बॉर्डर पर पुलिस द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। पुलिस ने किसानों के धरनास्थल से लगभग एक किलोमीटर पहले बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। बता दें कि इससे पहले धरना स्थल से केवल 100 मीटर की दूरी पर ही

बैरिकेड लगाए गए थे। लेकिन 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है। हिंसा के बाद पुलिस ने टिकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन के नीचे बैरिकेडिंग लगा दी गई है। इसके अलावा मेट्रो स्टेशन को भी पूरी तरह बंद कर दिया गया है। आम जनता को मेट्रो स्टेशन का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी है। अगर कोई मेट्रो

स्टेशन पहुंचता है तो पुलिस उन्हें दूसरे मेट्रो स्टेशन पर जाने के निर्देश दे रही है। टिकरी बॉर्डर पर पुलिस फोर्स के अलावा अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त टुकड़ियों को भी तैनात दिया गया है। यदि अब किसानों द्वारा किसी भी तरह का हंगामा किया जाता है, तो उन्हें किसी भी कीमत पर टिकरी बॉर्डर से आगे न बढ़ने दिया जाए।

महिला को बंधक बना की थी लूटपाट

हरिभूमि न्यूज नई दिल्ली

मैदान गढ़ी इलाके में हथियार के बल पर महिला को बंधक बनाकर लूटपाट करने वाले तीन लुट्टरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लुट्टरों में केयरटेकर भी शामिल है। वहीं इस लूट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इनके पास से पिस्तौल, दो कारतूस और लाखों के गहने बरामद हुए हैं। गिरफ्तार लुट्टरों के नाम डेरा गांव निवासी राजेंद्र उर्फ लंगड़ा, जितेंद्र और आया नगर निवासी दीपक है। जांच में पता चला कि केयरटेकर राजेंद्र पर पहले से भी यूपी में डकैती व गैंगस्टर एक्ट के कई मामले दर्ज हैं।

केयर टेकर समेत तीन लुट्टरे चढ़े हत्थे



साउथ जिले के डीसीपी अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि 25 जनवरी को एक 40 साल की महिला ने मैदानगढ़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 24/25 जनवरी की रात तीन लोग मफ्लर

बांध कर आए थे। उन्होंने महिला को हथियार के बल पर बंधक बना लूटपाट की और फरार हो गए।

महाशक्तिशाली
सिकंदर आजम
(हर्बल औषधि) केप्सूल
हाशमी अमरोहा द्वारा निर्मित
नई ताकत, सेहत, जवानी व उम्रमं के साथ सुखमय विवाहक जीवन का आनंद लें जी भर कर
दुष्टि दुष्टि अदुष्टि के लिए
मेडिकल स्टोर से खरीदें या फोन करें
09212358677
09015270020